न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 33/2021।

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण
1राकेश ज्याणी पुत्र धर्माराम ज्याणी जाति जाट
निवासी गांव भोजेरा पो. सरेरा तहसील व जिला बीकानेर।
फर्म–आर.के. मावा भण्डार, वाटर वर्क्स चौराहा, पीएचईडी कॉलोनी, नागौर।
2अशोक जाट पुत्र रामदेव जाट जाति जाट
निवासी जाटो का मोहल्ला, मु.पो. बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर।
फर्म– आर.के. मावा भण्डार, वाटर वर्क्स चौराहा, पीएचईडी कॉलोनी, नागौर।

आदेश दिनांक :23.12.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 26-10-2020 को मैसर्स आर.के. मावा भण्डार, वाटर वर्क्स चौराहा, पीएचईडी कॉलोनी, नागौर पर खाद्य पदार्थ खोया में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1366 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 359/एक्ट/2020/159 दिनांक 29.10.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खोया सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थीगण के असंतुष्ट होने पर उक्त खोया की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पुणे को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 04.02.2021 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खोया सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण राकेश ज्याणी पुत्र धर्माराम ज्याणी जाति जाट निवासी गांव भोजेरा पो. सरेरा तहसील व जिला बीकानेर व अशोक जाट पुत्र रामदेव जाट जाति जाट निवासी जाटो का मोहल्ला, मु.पो बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) व (2) (v) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 व 64 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 31-05-21 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.12.2021 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से मावा पेडा का सेम्पल भरा था। जो सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। मै मावा बीकानेर से खरीद कर लाता हूँ। भविष्य मे ऐसी गलती नही करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 359/एक्ट/2020/159 दिनांक 29.10.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ खोया का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। जिस पर अप्रार्थीगण उक्त जांच से असंतुष्ट होने पर उक्त खोये के नमूने की पुनः जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पुणे को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 04.02.2021 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मावा पेडा (मिठाई) सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) व (2) (v) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 व 64 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण राकेश ज्याणी पुत्र धर्माराम ज्याणी जाति जाट निवासी गांव भोजेरा पो. सरेरा तहसील व जिला बीकानेर तथा अशोक जाट पुत्र रामदेव जाट जाति जाट निवासी जाटो का मोहल्ला, मु.पो बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर पर संयुक्त रूप से रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर
नागौर (राजस्थान)